

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION


New Delhi, 11 February, 2021

G.S.R._(E)- In exercise of the powers conferred by sub clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 62, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2021.
(2) They shall come into force with effect from the 1st April, 2021.
2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules 2014, after rule 12, the following rule shall inserted, namely:-

"12A. Period for notice under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 62.- For the purposes of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 62, the time period within which the offer shall be made for acceptance shall be not less than seven days from the date of offer."

[F. No. 01/04/2013-CL-V- Part-IV]


K.V.R. Murty, Joint Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 265(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 794(E), dated the 24th December, 2020.

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली ...11 फरवरी, 2021

सा.का.नि.__(अ)- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये 01 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“12क. धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के अंतर्गत नोटिस की अवधि.- धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (i) के प्रयोजनार्थ, समयावधि जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा वह प्रस्ताव किए जाने की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी।”।

[फाइल सं. 01/04/2013-सीएल-V,पार्ट-IV]

के.वी.आर.मूर्ति

11/2/2021

के.वी.आर.मूर्ति, सयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 794(अ) तारीख 24 दिसंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।
